(31) Sub- C-6 Gender School & Society

Topic :- Positive notations of Sexuality among Young People (युवाओं में सकारात्मक लैंगिक झुकाव)

आजादी के 73 वर्षों के बाद भी समाज में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। आज आवश्यकता है कि लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये। इसके लिये हमें और समाज को जागरूक होना पड़ेगा। सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करना होगा। सकारात्मक सोच पैदा करना होगा।

शिक्षा ही एक ऐसा यन्त्र है जिसके द्वारा लैंगिक भेदभाव को मिटाया जा सकता है। युवाओं में सकारात्मक लैंगिक झुकाव के लिये हमारे समाज को कुछ कार्य करना चाहिये। ये कार्य विद्यालय, घर तथा बाहर हो सकते हैं। जैसे :-

(A) विद्यालय के सकारात्मक लैंगिक झुकाव हेतु कार्य :-

हमारा समाज में भले ही पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, परन्तु विद्यालय में बालक तथा बालिकाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दोनों को आगे बढ़ने के लिये समान अवसर दिये जाते हैं। विद्यालय में सामूहिक क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है। विद्यालय द्वारा युवाओं में लैंगिकता का सकारात्मक प्रभाव निम्न प्रकार से होता है :-

(i) सहशिक्षा द्वारा
(ii) समान अवसर द्वारा
(iii) सामूहिकता की भावना द्वारा
(iv) आदर तथा सम्मान की भावना
(v) पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के द्वारा
(vi) कार्यशाला, गोष्ठी व वाद-विवाद द्वारा
(vii) यौन शिक्षा द्वारा
(viii) विपरीत लिंग का महत्व द्वारा

P.T.O.

Scanned with CamScanner

(i) सह-शिक्षा द्वारा :- सह-शिक्षा द्वारा विद्यालय में बालक तथा बालिकाओं को सकारात्मक लैंगिक झुकाव उत्पन्न किये जाते हैं।

(ii) समान अवसर द्वारा :- विद्यालयीय क्रियाकलापों में बालक तथा बालिकाओं को भाग लेने के समान अवसर प्रदान किये जाते हैं, जिससे युवकों में सकारात्मक लैंगिक झुकावों की उत्पत्ति होती है।

(iii) सामूहिकता की भावना द्वारा - विद्यालयों में सकारात्मक लैंगिक झुकावों की उत्पत्ति हेतु सामूहिकता की भावना पर बल दिया जाता है।

(iv) आदर तथा सम्मान की भावना द्वारा :- परस्पर लिंग के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना की शिक्षा प्रदान की जाती है।

(v) पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के द्वारा :- पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाओं को बिना किसी भेदभाव के प्रभावी रूप से विद्यालय प्रदान करते हैं, जिससे भ्रान्तियाँ नहीं पनपती हैं।

(vi) कार्यशाला, गोष्ठी तथा वाद-विवाद के द्वारा :- विद्यालय में कार्यशालाएँ, गोष्ठी तथा वादविवाद इत्यादि के द्वारा बालक तथा बालिकाओं को स्वस्थ जानकारी प्राप्त होती है।

(vii) यौन शिक्षा :- यौन शिक्षा आज युवकों की माँग है। विद्यालय में यौन-शिक्षा के द्वारा स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है।

(viii) विपरीत लिंग का महत्व :- विद्यालय बालक एवं बालिकाओं को विपरीत लिंग के महत्व से अवगत कराते हैं जिससे उनके लिये सकारात्मक भाव जाग्रत होता है।

Scanned with CamScanner

(32) Sub:- C-6 Gender School & Society
Topic:- युवाओं में सकारात्मक लैंगिक झुकाव

(B) घर में सकारात्मक लैंगिक झुकाव हेतु कार्य:-

बालक तथा बालिकाओं के मन-मस्तिष्क पर पारिवारिक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव होता है। लिंगीय भेदभाव (लड़का-लड़की में भेद) की शुरुआत घर से यानी परिवार से होती है। सकारात्मक लैंगिक झुकाव हेतु परिवार को चिन्न करना चाहिये:-

(i) परिवार को लिंगीय हीनतासूचक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ii) परिवार में बालक तथा बालिकाओं से यौन शिक्षा तथा लिंगीय मुद्दों पर बात करके सकारात्मक लैंगिक झुकाव उत्पन्न किया जा सकता है।

(iii) परिवार में बालकों में श्रेष्ठता का भाव बालिकाओं की अपेक्षा नहीं करना चाहिये, बल्कि स्वस्थ लैंगिक भाव उत्पन्न करना चाहिये जिससे समाज में बालिकाओं के लिये सुरक्षा का वातावरण बनेगा।

(iv) परिवार में बालक तथा बालिकाओं की समुचित शिक्षा व पालन-पोषण के प्रबन्ध द्वारा लैंगिक समानता का कार्यकर सकारात्मक लैंगिक झुकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(C) बाहर (समाज) के लैंगिक झुकाव हेतु कार्य:-

लैंगिक झुकाव में असन्तुलन से समाज में बालिकाओं का सम्मानपूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। समाज में यौन विषयों पर बात करना अपूण्य जैसा माना जाता है। घर में यदि माता-पिता, बेटी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं तो बाहर समाज में हजारों

P.T.O

Scanned with CamScanner

व्यक्ति क्यों नहीं?, इस विषय पर कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। समाज का क्षेत्र तथा शक्ति परिवार से कहीं अधिक व्यापक है।

समाज में लैंगिक झुकाव के कार्य का समाधान निम्न प्रकार किया जाना चाहिये :-

(i) सामाजिक सुरक्षा का वातावरण तैयार करना।
(ii) किसी भी प्रकार की यौन अभद्रता तथा लैंगिक दुर्व्यवहार पर आगे आना चाहिये ताकि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में भय व्याप्त हो सके और वे सकारात्मक लैंगिक दृष्टिकोण के विकास के लिये बाध्य हो सके।
(iii) सामाजिक क्रियाकलापों में बालक तथा बालिकाओं को समान रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना।
(iv) समाज को पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहिये।
(v) समाज को युवाओं में सकारात्मक लैंगिक झुकावों के लिये समय-समय पर इससे सम्बन्धित आयोजनों को आयोजित करना चाहिये।
(vi) यौन शिक्षा के प्रति उदार तथा व्यापक दृष्टिकोण रखना
(vii) अभद्र शब्दावली एवं व्यवहार के प्रति हेयभाव रखना

कोई भी सभ्य राष्ट्र किसी भी लिंग के शोषण की इजाजत नहीं देता है। किसी भी महिला के अधिकारों का अतिक्रमण करना, शोषण करना या घरेलू हिंसा करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता है। महिला लिंग के प्रति आक्रामक व्यवहार एक असभ्य तथा जंगली व्यवहार का परिचायक होता है।

— x —

Scanned with CamScanner

Sub. C-6 Gender School & Society

Topic :- महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रमुख आयोग/समितियाँ (Main Commission/Committee for the Development of Women's Education)

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् बालिका शिक्षा हेतु बहुत प्रयास किये तथा इससे आशातीत सफलता भी मिली है। लोगों में बालिका शिक्षा के प्रति मानसिकता में काफी परिवर्तन हुआ है। वे अब बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रयासरत हुये हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से संचालित है। संविधान लागू होने के पश्चात संविधान की धारा 45 में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अगले 10 वर्षों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना मुख्य दायित्व निश्चित किया गया।

शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिये समय-समय पर कई शिक्षा आयोगों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है:-

(1) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (डॉ॰ राधाकृष्णन आयोग) - (1948-49) - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना।

आयोग ने स्त्री शिक्षा के उन्नति हेतु निम्न सुझाव दिये:-

(i) बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि हेतु उनको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिये।

(ii) बालिकाओं और बालकों की शिक्षा एक समान न हो अपितु बालिकाओं के अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिये।

(iii) महिला तथा पुरुष अध्यापकों को समान वेतन।

(iv) बालिकाओं के लिये प्रशिक्षित एवं सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा ही प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

P.T.O

Scanned with CamScanner

(v) सहशिक्षा संस्थानों में शिष्टाचार तथा सामाजिक दायित्व पर बल प्रदान किया जाना चाहिये।

(2) माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर शिक्षा आयोग) - (1952-53) :- आयोग का मानना था कि माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं तथा बालकों दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिये। स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सुझाव दिये :-

(i) स्त्री तथा पुरुष की समान शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
(ii) बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, शिल्प, उद्योगों, संगीत तथा चित्रकारी को स्थान दिया जाये।
(iii) सहशिक्षण संस्थानों में महिलाशिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाये।
(iv) बालिकाओं को विद्यालय में पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जायें।

इस प्रकार मुदालियर आयोग ने शिक्षा द्वारा महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलम्बन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

(3) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) :- भारत सरकार ने 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिये श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति' की नियुक्ति की। इस समिति को 'देशमुख समिति' भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य - स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिये अपने सुझाव प्रस्तुत करना था। 'समिति' ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

Scanned with CamScanner

(34)

Sub. - C-6 Gender School & Society

Topic :- महिला शिक्षा के विकास हेतु आयोग/समितियाँ (Commission/Committee for the Development of Women's Education)

(4) राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद (1959) :-

'देशमुख समिति' की सिफारिश को स्वीकार करके केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने 1959 में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' का निर्माण किया। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है:-

(i) विद्यालयस्तर पर बालिकाओं की समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।

(ii) बालिकाओं के शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिये लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रम के विषयों में सुझाव देना।

(iii) बालिका शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयोगार्थ विभिन्न सुझाव देना।

(iv) बालिका शिक्षा के क्षेत्र में होनेवाली प्रगति का समय-समय मूल्यांकन करना तथा भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना।

(5) हंसा मेहता समिति (1962) :- 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' ने 1962 में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिये एक समिति का गठन किया। इसे 'हंसा मेहता समिति' के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर बालक-बालिकाओं के पाठ्यक्रम में लैंगिक भिन्नता सम्बन्धी निर्णय लेना था।

हंसा मेहता समिति के सुझाव :-

(i) हंसा मेहता समिति का सुझाव था कि भारतीय समाज में लिंग के आधार पर विद्यालयी पाठ्यक्रम में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

(ii) बालक-बालिकाओं के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के अन्तर के आधार पर पाठ्यक्रम में विभेद किया जाना चाहिये।
(iii) पाठ्यक्रम की विभिन्नता समाज के निर्माण कार्य में बाधा न बने, ऐसा प्रयास भी करना चाहिये।

(6) कोठारी कमीशन (1964-66):- 1964 में भारत सरकार ने डॉ० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग (1964-66) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था, जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुये कुछ ठोस सुझाव दिये :-
(i) 6 से 14 आयुवर्ग के सभी लड़के-लड़कियों के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
(ii) बालिकाओं हेतु अलग से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना।
(iii) बालिकाओं हेतु अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था।
(iv) उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं के लिए अलग से महाविद्यालयों की स्थापना की जाय।
(v) बालिकाओं को मुफ्त पाठ्यपुस्तक, लेखन सामग्री, वस्त्र आदि प्रदान कर उन्हें शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है।
(vi) बालिका शिक्षा की निगरानी हेतु केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उपयुक्त प्रशासनिक कदम उठाये जाये।
(vii) स्त्रियों के लिए अंशकालिक रोजगारों की व्यवस्था की जाय, जिससे वे पारिवारिक कार्यों से युक्त होकर शिक्षा का समुचित लाभ उठा सकें।

—x—

Scanned with CamScanner

(35)

Sub. - PSS-10 Pedagogy of Science

Topic :- शिक्षण-बिन्दुओं की पहचान
(Identification of Teaching Points)

मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख भाग शिक्षण-बिन्दु है इसके अन्तर्गत उन शिक्षण-बिन्दुओं को निर्धारित किया जाता है जिनके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। किसी भी प्रकरण को शिक्षण में सुविधा की दृष्टि से छोटे-छोटे भागों में बाँटा जा सकता है। ये छोटे-छोटे भाग ही शिक्षण-बिन्दु कहलाते हैं। प्रत्येक शिक्षण बिन्दु अपने-आप में शिक्षण की एक संक्षिप्त परन्तु पूर्ण इकाई होती है। ये शिक्षण बिन्दु अध्यापक के कार्य को अत्यधिक सरल कर देते हैं। इन शिक्षण-बिन्दुओं का अनुसरण करके अध्यापक धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है। ये शिक्षण बिन्दु अध्यापक को शिक्षण योजना बनाने में अत्यधिक सहायक होते हैं।

उदाहरणस्वरूप, शिक्षक को कौन-सा पाठ पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, कौन-से अनुभव देना है, किन शिक्षण-बिन्दुओं पर कितना समय देना है, जिससे कि जीव-विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह प्रक्रिया ही पाठ्यवस्तु विश्लेषण है जिसके आधार पर हम शिक्षण बिन्दुओं का चयन करते हैं।

अध्यापक अपने ज्ञान, अनुभव और अन्तर्दृष्टि के आधार पर विषयवस्तु के विश्लेषण द्वारा शिक्षण-बिन्दुओं का निर्धारण करता है। विषय-वस्तु-विश्लेषण द्वारा शिक्षण-बिन्दुओं के निर्धारण में निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है:-

(i) जीव-विज्ञान के शिक्षण-उद्देश्यों को व्यवहार

P.T.O.

Scanned with CamScanner

परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर लेते हैं।

(ii) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपलब्ध पाठ्य-सामग्री को क्रमबद्ध करते हैं। आवश्यकता होने पर पाठ्य-वस्तु के क्रम को बदला जा सकता है तथा किसी प्रसंग को उपप्रसंगों में बाँटा जा सकता है।

(iii) किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पाठ्य-वस्तु के शिक्षण के लिए कालांशों के निर्धारण में शिक्षण उद्देश्यों और स्थलों की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिये।

अध्यापक वांछित शिक्षण-बिन्दुओं की उपयुक्तता तथा वांछित उद्देश्यों के आधार पर कालांशों का निर्धारण कर शिक्षण की व्यवस्था करता है।

शिक्षण हेतु नियोजन (Planning for Teaching)

नियोजन से तात्पर्य है -योजना निर्माण। योजन निर्माण किसी कार्य या योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये अनिवार्य है। नियोजन से दो प्रमुख लाभ है:—

(i) नियोजन से उस कार्य के प्रयोजन तथा उद्देश्य की भली प्रकार प्राप्ति में सहायता मिलती है।

(ii) नियोजन से कार्य में लगे हुये मानवीय और भौतिक संसाधनों की शक्ति और समय का अपव्यय नहीं होता।

Scanned with CamScanner